NT>

Title: Need to take stringent action against companies duping money of small shareholders.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : महोदय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने 26 मार्च, 1999 को अपने आदेश में सेबी व कम्पनी मामलों के विभाग को इस बात का आदेश दिया था कि उन 80 कम्पनियों की पहचान की जाए, जिन्होंने छोटे शेयर होल्डरों का पैसा जुटाया व गायब हो गईं। कुछ कम्पनियों की काफी प्रयासों के बाद पहचान भी की गई किन्तु शेयर होल्डरों का पैसा वापस दिलाने के लिए सरकार ने उनके विरूद्ध कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है।

अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन कम्पनियों की पहचान करके उनके विरूद्ध अविलम्ब ठोस कार्यवाही की जाए, जिससे कि छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके।